

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ ) भादरा

(पीठरीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्ता चौधरी आर०ए०एस०

उत्तमान

वकील पुत्र अमरसिंह जाति जाट

वकील - मिताली गांधीवडी

संख्या नम्बर :- 44/23

दिनांक :- 21-6-23

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र बनीराम जाति जाट

2. मिताली गांधीवडी

एरीश चौधरी पुत्र अमरसिंह

जाति जाट नि० गांधीवडी

3. राजस्थान सरकार परिसर

हथनीतदार भादरा

वादी की ओर से वकील

एड० राजेश बनीवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील

एड० अर्जुन बनीवाल

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21-6-23 को मुझ शकुन्ता चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राही मौजा चड 2 डोर डे रवाहा 19/60 डे मु०न० 16 डे डिला न० 5 डी 0.253 डे० धारानी में प्रतिवारी स० 01 अमरसिंह डा नाम इतमजन डिया जाट डतडे रवान पर वादी सत्य ह्या प्रतिवारी स० 2 एरीश चौधरी डो धदिता धराधर अनुसार ह्या राही मौजा चड 15 ह्यमरस डे रवाहा स० 2/3 डे मु०न० 9 डे डिला न० 1,2,3, 8,9, 10 मु०न० 39 डे डिला न० 1,2, 9, 13, 17, 18, 23 मु०न० 40 डे डिला न० 51, 52, 61, 62, 151, 152 डी कुल प. 8070 डे० प्रतिवारी स० 01 डे नाम राजस्थ रिडरि में दर्ज डे में प्रतिवारी स० 01 अमरसिंह डो 3.289 डे० ह्या प्रतिवारी स० 2 एरीश चौधरी व वादी सत्य डो 1.771 डे० धदिता धराधर डे अनुसार रवाहेदार डारडार धोधिह डिये जाते डे। चूडि चड 15 ह्यमरस डी भूमि बेंड रधन डे हो बेंड रधन डो प्रतिवारी स० 01 अमरसिंह डे डिलसे पर स्वतन्त्रिह डारे डूर डपरोम्हाडुसार राजस्थ रिडरि में अमरसिंह डरे। रक्का वाद डमपसडाराने अपना-अपना वधन डरे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-6-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शिविर प्रभारी